वित्तीय स्वीकृति (2017-18)

संख्या- 13/2017/1000/एक-5-2017-62/2017

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ०प्र०
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊ : : दिनांक 31 अगस्त, 2017**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत अनावासीय एवं आवासीय भवनों के अनुरक्षण/लघु निर्माण कार्यों से संबंधित वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व परिषद के पत्रांक-915/12-भवन-21/2016-17, दिनांक 03 अगस्त, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार अंकित लेखाशीर्षक के सम्मुख उल्लिखित धनराशि जिसका कुल योग रू० 1450.00 लाख (चौदह करोड़ पचास लाख मात्र) है, की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

अनुदान संख्या-50 **(धनराशि लाख रु० में)**

क्र0 सं0	लेखा शीर्षक / मद	आय-व्ययक प्राविधान के सापेक्ष प्रस्ताव 2017-18
1-	2059-लोक निर्माण कार्य-80- सामान्य-053-रखरखाव तथा मरम्मत-03 मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के अनुरक्षण संबंधी कार्य-29- अनुरक्षण।	800.00
2-	2216-आवास-01-सरकारी रिहायशी भवन-700- अन्य आवास-03 मण्डल/जनपद/तहसीलों के आवासीय भवनों के अनुरक्षण संबंधी कार्य-29-अनुरक्षण।	500.00
3-	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-800-अन्य व्यय-22-मण्डल/जनपद/ तहसीलों के अनावासीय भवनों में लघु निर्माण संबंधी कार्य-25-लघु निर्माण कार्य।	100.00
4-	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-01-सरकारी रिहायशी भवन-106- साधारण पूल आवास-06- मण्डल/जनपद/ तहसीलों के आवासीय भवनों में लघु निर्माण कार्य-25-लघु निर्माण कार्य।	50.00
	कुल योग	1450.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि निवर्तन पर रखी उक्त धनराशि प्रदेश के समस्त मण्डल / जनपद / तहसीलों को विभिन्न संबंधित मदों के अन्तर्गत नियमानुसार / आवश्यकतानुसार आवंटित की जायेगी।

(3) वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में संबंधित प्रश्नगत व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं / मदों पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य मदों / नई मदों में कदापि नहीं किया जायेगा। वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं बजट मैनुअल के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(4) व्यय नियमानुसार स्वीकृत धनराशि की सीमा के अन्दर ही किया जायेगा। स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई अनाधिकृत / अनानुमोदित व्यय कदापि नहीं किया जायेगा।

(5) व्यय किये जाने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल / वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों / वर्तमान दिशानिर्देशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की सहमति की आवश्यकता हो, उसमें स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। व्यय करने में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 8 / 2017 / बी -1-1190 / दस-2017-231 / 2017, 3 अगस्त 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(6) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8 / 2017 / बी-1-1190 / दस-2017-231 / 2017, 3 अगस्त 2017 के द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कुमार सिंह
विशेष सचिव

संख्या- 13 / 2017 / 1000 / एक-5-2017-62 / 2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- वित्त (ई-5) / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 / 2
4- राजस्व अनुभाग-6
5- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
गिरीश चन्द्र
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in